न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 73/2026

राजस्थान सरकार जरिये रामावतार, प्रवर्तन अधिकारी

– –प्रार्थी

बनाम

श्री शोयब इकबाल पुत्र श्री शाहिन अहमद, प्रोपराइटर मन्नत रेस्टोरेन्ट चुरू बाईपास झुंझुनू

– –अप्रार्थी

––

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत।

––

उपस्थितः–

1. श्री विकास कुमार – प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांक 27.04.2026

प्रार्थी के अनुसार प्रार्थना पत्र निम्नानुसार पेश है कि दिनांक 17.02.2026 को मन्नत रेस्टोरेन्ट चुरू बाईपास झुंझुनू के विरुद्ध घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक प्रयोग की औचक जांच मुझ रामावतार प्रवर्तन अधिकारी झुंझुनू द्वारा स्थल पर पहुंच कर की गई। मौका स्थल पर श्री शोयब इकबाल पुत्र श्री शाहिन अहमद, प्रोपराइटर मन्नत रेस्टोरेन्ट चुरू बाईपास झुंझुनू मिले, जिन्होनें स्वयं को प्रतिष्ठान का प्रोपराईटर बताया तथा स्वयं की उपस्थिति में निरीक्षण करवाया। मौका स्थल पर प्रतिष्ठान परिसर में 3 घरेलू गैस सिलेण्डर रखे पाये गये जिन पर खाद्य सामग्री बनाते हुये पाये। मौके पर प्रतिष्ठान के प्रोपराईटर से पूछताछ करने पर उनके द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक प्रयोग किये जाने के संबंध में कोई संतोषप्रद जबाब नही दिया गया तथा न ही इस संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। मौके पर पाये गये 3 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर खाद्य सामग्री बनाते पाये जाने के आधार पर श्री शोयब इकबाल पुत्र श्री शाहिन अहमद, प्रोपराइटर मन्नत रेस्टोरेन्ट चुरू बाईपास झुंझुनू द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर्स का व्यावसायिक अवैध उपयोग की पुष्टि होती है। बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित तथ्यों के आधार पर मौके पर उपलब्ध 3 घरेलू गैस सिलेण्डर को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 का उल्लंघन पाये जाने पर आदेश की धारा 13 (1)(ग) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में जब्त राज लिया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से उक्त सामग्री मौके पर बुलवाये गये सागरमल मीणा पुत्र श्री बनवारी लाल मीणा झुंझुनू इण्डेन गैस एजेन्सी की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री शोयब इकबाल पुत्र श्री शाहिन अहमद, प्रोपराइटर मन्नत रेस्टोरेन्ट चुरू बाईपास झुंझुनू द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक अवैध उपयोग कर दुरुपयोग करना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 की धारा 3,4,6 व 7 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के अन्तर्गत विभागीय आदेश एफ 86(8)खा.ले. /नीति/6ए/2000 दिनांक 19.08.2000 के तहत संबंधित तेल कम्पनी को लौटाये जाने के आदेश फरमावें।

बहस सुनी गई। विभागीय प्रतिनिधि ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि अप्रार्थी को घरेलू सिलेण्डरों का व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के धारा 3, 4, 6 व 7 का उल्लंघन करते पाये जाने पर मौके पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त किये गये है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मे स्वीकार कर जप्तशुदा सामग्री को संबंधित तेल कम्पनी के सुपुर्द करने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी ने प्रार्थी के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया अप्रार्थी द्वारा सिलेण्डरों का दुरूपयोग नही कर रहा था। अतः अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही निरस्त करते हुए जप्तशुदा सिलेण्डर दिलाने की कृपा करें।

हमने बहस उभय पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में 1 घरेलू सिलेण्डर पर खाद्य सामग्री बनाना बताया है। जप्ती 3 सिलेण्डर की है। फर्द जप्ती में स्वतन्त्र गवाह के सिर्फ हस्ताक्षर है, स्पष्ट विवरण अंकित नहीं है। अतः संदेह का लाभ देते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार जाता है तथा जप्त 3 घरेलू सिलेण्डर अप्रार्थी को लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलेक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं